संख्या-2585/X-2-2006-12(28)/2006

प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून :दिनांक 20 जून, 2006

विषय:- अनुदान संख्या-27 में जिला सेक्टर - आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के लिए वर्ष 2006-07 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- नि. 994/35-6(जि.से.), दिनांक 01 मई, 2006, शासनादेश संख्या-903/XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 तथा शासनादेश संख्या-1861/X-2-2006-12(28)/2006, दिनांक 12 अप्रैल, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 64,83,000/- के अतिरिक्त रू0 6,40,17,000/-(रूपये छः करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू योजनाओं की स्वीकृत मदों पर ही किया जाय.
2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव/योजनाओं के सापेक्ष निर्धारित कार्यों पर ही किया जाय तथा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मद में नहीं किया जाय.
4. अवमुक्त की जा रही समस्त धनराशि सीधे सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के निस्तारण पर रख दी जाय तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता अनुसार ही किया जाय ।
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
6. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. अवमुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91-जिला सेक्टर योजनायें की संलग्न तालिका-1 में अंकित योजनाओं की सुसंगत मदों के नामे डाला जावेगा.

3. चालू वित्तीय वर्ष में कुल अवमुक्त धनराशि की सापेक्ष जनपदवार वित्तीय स्वरूप संलग्न तालिका-2 में अंकित है. उक्त के सापेक्ष ही आवंटन/आहरण सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

शासनादेश संख्या-2545/X-3-2006-12(28)/2006 का संलग्नक-1.

कण्डि0	लेखा शीर्षक	मानक मद	मद प्रकार	परिव्यय	जारी वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान स्वीकृति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन		राजस्व लेखा----अनुदान संख्या-27				(धनराशि हजार रू0 में)
	01-वानिकी						
	800-अन्य व्यय						
	91-जिला सेक्टर योजनायें						
1	9101-वन संचार साधन (जिला सेक्टर)						
	25-लघु निर्माण	लाख सीमा		39000	0	0	0
	29-अनुरक्षण	"			3250	35750	39000
	योजना का योग			39000	3250	35750	39000
2	9102-भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था (जिला सेक्टर)						
	24-वृहत् निर्माण	लाख सीमा		31500	900	7985	8885
	25-लघु निर्माण	"			1250	10865	12115
	26-मशीन साज सज्जा/ उपकरण एवं संयंत्र	"			250	2173	2423
	29-अनुरक्षण	"			833	7244	8077
	योजना का योग			31500	3233	28267	31500
	कुल योग			70500	6483	64017	70500

9/1916

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव